

2018 का विधेयक संख्यांक 59

[दि एयरपोर्ट्स इकोनोमिक रेगुलेटरी अथोरिटी आफ इंडिया (अमेंडमेंट) बिल, 2018 का हिन्दी अनुवाद]

**भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
(संशोधन) विधेयक, 2018**

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
अधिनियम, 2008 का संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2018 है ।

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

5 (2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

धारा 2 का संशोधन ।

2. भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (ज़) में, “15 लाख” अंकों और शब्द के स्थान पर, “पैंतीस लाख” शब्द रखे जाएंगे ।

2008 का 27

धारा 13 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 13 में, उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

5

“(1क) उपधारा (1) और उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण किसी विमानपत्तन या उसके किसी भाग के संबंध में टैरिफ या टैरिफ संरचनाओं या विकास फीस की रकम का अवधारण उस समय नहीं करेगा, यदि ऐसे टैरिफ या टैरिफ संरचनाओं या विकास फीस की रकम को, ऐसे बोली लगाए जाने वाले दस्तावेज में सम्मिलित किया गया है, जो उस विमानपत्तन की प्रचालनशीलता को प्रदान किए जाने के लिए आधार है :

10

परंतु प्राधिकरण से ऐसे टैरिफ या टैरिफ संरचनाओं या विकास फीस की रकम के, जिसे बोली लगाए जाने वाले दस्तावेज में सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव है, संबंध में अग्रिम में परामर्श किया जाएगा और ऐसे टैरिफ या टैरिफ संरचनाओं या विकास फीस की रकम को राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा ।”।

15

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 (अधिनियम) को, विमानपत्तनों पर प्रदान की जाने वाली वैमानिक सेवाओं के लिए टैरिफ और अन्य प्रभारों का विनियमन करने और विमानपत्तनों के कार्यपालन मानकों की मानीटरी करने और साथ ही विवादों के न्यायनिर्णयन तथा अपीलों के निपटारे हेतु अपील अधिकरण की स्थापना करने के लिए भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (प्राधिकरण) की स्थापना का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था। यह प्राधिकरण विमानपत्तनों, वायुयान सेवाओं और यात्रियों के हितों के संरक्षण के लिए एक स्वतंत्र आर्थिक विनियामक है।

2. पिछले कुछ वर्षों में, भारत विश्व के तीसरे सबसे बड़े घरेलू विमानन बाजार के रूप में उभरा है और 2007 से 2017 की अवधि के दौरान महा विमानपत्तनों की संख्या 12 से बढ़कर 27 हो गई है। इस क्षेत्र के अत्यधिक विकास ने प्राधिकरण पर पड़ने वाले दबाव में अत्यधिक वृद्धि की है। इसके अतिरिक्त पब्लिक प्राइवेट भागीदारी के भागरूप में विभिन्न प्राइवेट प्रचालक इस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जिसके लिए इस क्षेत्र की दीर्घकालिक उपयोगिता को बनाए रखने को ध्यान में रखते हुए विनियामक सुनिश्चितता अपेक्षित है। इस जटिलता को दूर करने के लिए यह महसूस किया गया है कि यदि प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के अधीन अधिक संख्या में विमानपत्तन आते हैं तो प्राधिकरण के लिए, उसके पास उपलब्ध सीमित संसाधनों के साथ दक्षतापूर्वक टैरिफ का निर्धारण करना तथा महा विमानपत्तनों के सेवा मानकों की मानीटरी करना कठिन होगा।

3. अवसंरचना परियोजनाओं में प्राइवेट भागीदारों को नियोजित करने के लिए अनेक पद्धतियों का अनुसरण किया जाता है जैसे कि पूर्व-निर्धारित टैरिफ या टैरिफ आधारित बोली और विमानपत्तन संबंधी परियोजना ऐसे सुविधाग्राही को प्रदान की जाती है, जो न्यूनतम टैरिफ की प्रस्तावना करता है या सम्पूर्ण सुविधा अवधि के दौरान मंहगाई दर से जुड़े पूर्व-निर्धारित टैरिफ को स्वीकार करता है। इस पद्धति में, बाजार स्वयं प्रभारों को निर्धारित करता है तथा विनियामक से यह अपेक्षित नहीं है कि वह परियोजना के प्राप्त होने के पश्चात् प्रभारों को तय करे। अधिनियम, अपने वर्तमान रूप में ऐसी पद्धति के अधीन विमानपत्तनों के प्रचालन को समाविष्ट नहीं करता है। चूंकि यह पद्धति विमानपत्तन प्रभारों में कमी लाने का एक साधन है, इसलिए भविष्य में विमानपत्तनों को इस पद्धति के अधीन भी विकसित किया जा सकेगा।

4. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2018 के माध्यम से भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 को संशोधित करने का प्रस्ताव किया जाता है, जिसमें,--

(क) "महा विमानपत्तन" की परिभाषा को, ऐसे किसी विमानपत्तन के रूप में संशोधित किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें यात्रियों की वार्षिक आवाजाही विद्यमान पन्द्रह लाख की बजाय पैंतीस लाख से अधिक होना अभिहित है ; और

(ख) अधिनियम की धारा 13 का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे ऐसी टैरिफ पद्धतियों को अपनाया जा सके, जो अधिनियम में बोली प्रक्रिया का भाग हैं।

5. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;

सुरेश प्रभु

वित्तीय ज्ञापन

इस विधेयक में कोई वित्तीय विवक्षाएं सम्मिलित नहीं हैं और इसमें भारत की संचित निधि से आवर्ती या अनावर्ती प्रकृति का कोई अन्य व्यय भी सम्मिलित नहीं है ।

उपाबंध

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008

(2008 का अधिनियम संख्यांक 27) से उद्धरण

* * * * *

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

* * * * *

(झ) "महा विमानपत्तन" से ऐसा विमानपत्तन, जिसकी क्षमता वार्षिक 15 लाख से अधिक यात्रियों की है या उतने के लिए अभिहित किया गया है या कोई ऐसा अन्य विमानपत्तन अभिप्रेत है, जिसे केन्द्रीय सरकार उस रूप में, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे;

* * * * *

अध्याय 3

प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य

प्राधिकरण के कृत्य ।

13. (1) प्राधिकरण, महा विमानपत्तनों के संबंध में निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:—

(क) निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए वैमानिक सेवाओं के लिए टैरिफ अवधारित करना,—

(i) विमानपत्तन सुविधाओं के सुधार के लिए उपगत पूंजी व्यय और समय से किया गया विनिधान;

(ii) प्रदान की गई सेवा, उसकी क्वालिटी और अन्य सुसंगत बातें;

(iii) दक्षता में सुधार लाने के लिए लागत;

(iv) महा विमानपत्तन का मितव्ययी और व्यवहार्य प्रचालन;

(v) वैमानिकी सेवाओं से भिन्न सेवाओं से प्राप्त राजस्व;

(vi) किसी करार या समझौता ज्ञापन में या अन्यथा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्थापित रियायत;

(vii) कोई अन्य बात जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सुसंगत हो :

परन्तु उपखंड (i) से उपखंड (vii) में विनिर्दिष्ट उपरोक्त सभी या किसी बात को ध्यान में रखते हुए, भिन्न-भिन्न विमानपत्तनों के लिए भिन्न-भिन्न टैरिफ संरचनाएं नियत की जा सकेंगी;

(ख) महा विमानपत्तनों के संबंध में विकास फीस की रकम अवधारित करना;

(ग) वायुयान अधिनियम, 1934 के अधीन बनाए गए वायुयान नियम, 1937 के नियम 88 के अधीन उद्धृत यात्री सेवा फीस की रकम अवधारित करना;

(घ) सेवा की क्वालिटी, निरंतरता और विश्वसनीयता से संबंधित ऐसे उपवर्णित कार्यपालन मानकों को जो केन्द्रीय सरकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, मानीटर करना;

1934 का 22

(ड) ऐसी सूचना मांगना जो खंड (क) के अधीन टैरिफ के अवधारण के लिए आवश्यक हो;

(च) टैरिफ से संबंधित ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा सौंपे जाएं या जो इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों ।

* * * * *